महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

आभा मिश्रा*

सारांश

नारी जागृति एवं महिला सशक्तिकरण आज के युग में अपरिहार्य आवश्यकता बन गयी है। इसकी आजादी प्रगति, शिक्षा और समानता किसी भी राष्ट्र के सर्वांगिण विकास का परिचायक है। आज समस्त विश्व में नारीवादी चिन्तन ने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। यह चिन्तन समाज विज्ञान एवं साहित्य की सभी विधाओं में कई प्रस्थापित मूल्यों को चुनौती दे रहा है। इस चुनौति के कई स्वरूप हैं। किसी ने इस आधार पर चुनौती दी है, कि इस समाज के पुरूषोचित मूल्यों के लिये पुरूष वर्ग उत्तरदायी है, जिसने अपनी सुविधा व स्वार्थो के लिये स्त्री को हमेशा अधीनस्थ स्थान दिया है। किसी ने इस आधार पर चुनौती दी है कि आरम्भ से दार्शनिक व चिन्तकों ने पुरूषोचित गुणों को महत्व दिया है, स्त्रियोचित गुणों को नहीं। स्त्रियों के अमूल्य योगदान को भी रेखांकित नहीं किया गया है। किसी ने इस आधार पर चुनौती दी है कि सारा का सारा सामाजिक ढाँचा एवं उसके मूल्य रूप विरोधी रहे है। समानता के आधुनिक सिद्धांतों ने भी स्त्री–पुरूष को एक तराजू पर तौलकर स्त्रियों के साथ अन्याय ही किया है, क्योंकि उन्होंने स्त्रीयों की स्त्रीजन आवश्यकाताओं का ध्यान नहीं रखा है। ये समस्त चुनौतियों अलग–अलग रूपों, रंगों व आकारों में उत्तरदायी, सामाजवादी, मार्क्सवादी व नारीवादी चिन्तन में उभर कर आयी है।

नारीवाद मानव मात्र की समानता पर आधारित विचारधारा है। व्यक्ति, व्यक्ति है, चाहे वह स्त्री हो या पुरूष। न कोई व्यक्ति पुरूष होने के कारण श्रेष्ठ हो जाता है न ही कोई व्यक्ति स्त्री होने के कारण कम श्रेष्ठ। पुरूष के साथ श्रेष्ठता और स्त्री के साथ हीनता की बात प्रकृति प्रदत नही वरन् समाज ने अपनी निहित स्वार्थो में जोड़ी है। आज का समय लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार व स्थापना का युग है। स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, शोषण की समाप्ति, मौलिक अधिकारों की प्राप्ति जैसे अनेकानेक विचारों को प्रत्येक समाज स्वीकारने में अग्रसर है। किन्तु इनके मार्ग में अनेक अवरोध भी है, जिसमें मुख्य नारी उत्पीड़न है। यही वजह है कि आज के समाज वैज्ञानिकों के अध्ययन का मुख्य विषय नारी उत्पीड़न समस्याएँ एवं परिप्रेक्ष्य हो गया है। परंतु यहां पर प्रश्न यह उठता है कि क्या महिलाओं के बारे में आरंभ से किये जाने वाले इन विचारों व परिस्थितियों ने नारी के मान सम्मान व अधिकारों में बढ़ोतरी की है या वे वहीं हैं? इन पर विचार करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण क्या है? दूसरी तरफ महिलाओं को सशक्त करने में शिक्षा ने कितनी भूमिका निभाई है? इसलिए इस शोध पत्र में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका को जानने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः शिक्षा, साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, कस्तूरबा योजना।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ सदियों से चले आ रहे पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को मुक्ति से लगाया जाता है। विषमता को पलटकर समता पैदा करना, समान अवसरों के लिए समान परिस्थितियां पैदा करना तथा महिलाओं में चेतना का विकास करना। दूसरे शब्दों में महिलाओं में पुरूषों के बराबर सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक, वैधानिक, राजनैतिक, शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्रों में स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है।

शिक्षाः महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हथियार माना गया है। शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर किया जा सकता है। शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति पैदा होती है।

अगर हम महिला साक्षरता के इतिहास पर नजर डाले तो, महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। सन् 1951 की जनगणना के अनुसार केवल 8.66 प्रतिशत् महिलाएं ही साक्षर थी। सन् 1991 में साक्षरता दर में वृद्धि देखने को मिली जो 39 प्रतिशत् थी और सन् 2001 में कराए गए जनगणना के बाद महिला साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत् प्राप्त हुआ। पिछले दशक (1991–2001) में महिला साक्षरता दर में 15 प्रतिशत् की वृद्धि होना उत्साहजनक माना जा सकता है। पर, पुरूष साक्षरता दर से काफी कम है।

* स्नातकोतर समाजशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची

प्रश्न उठता है कि महिला साक्षरता क्यों पिछड़ रही है? इसके बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। इतनी अच्छी नीतियों और कार्यक्रमों के बावजूद यह स्थिति अभी तक क्यों जारी है इसके लिए तीन प्रमुख कारण है जो निम्नलिखित है :–

सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति :– हमारे समाज में महिलाओं की प्रस्थिति बहुत ही निम्न है तथा प्रत्येक स्तर पर पुरूष वर्ग को विशेष वरीयता दी जाती है जो कि महिला निरक्षरता का प्रमुख कारण है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में माता–पिता यह समझने में असमर्थ हैं कि वे अपनी पुत्रियों को शिक्षित क्यों बनाए। वे बालिकाओं को घरेलू कामकाज का प्रशिक्षण देना अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वास्तव में यह हमारे समाज में महिलाओं को प्रदान की गई गृहिणी और मां की प्रभावशाली भूमिका को प्रतिबिम्बित करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका के जवान होते ही उसके बाहर–जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। यदि विद्यालय अधिक दूरी पर स्थित है और परिवहन सुविधा या महिला अध्यापिकाएं उपलब्ध नहीं हैं तो समस्या और भी अधिक जटिल हो जाती है। बालिकाओं का विवाह किशोरावस्था आरंभ होने से पहले ही कर दिया जाता है क्योंकि माता–पिता अधिकतर सामाजिक आलोचना का सामना करने में असमर्थ होते हैं।[1] अतः शीघ्र विवाह महत्वपूर्ण कारण है।

आर्थिक :– ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं प्रायः खेतों मे ंकाम करती है या घरेलू काम–काज करती हैं अथवा छोटे भाई–बहनों की देख–भाल करके अपने परिवार की सहायता करती हैं। ऐसे मामलों में परिवार अपनी लड़की को विद्यालय में भेजना नहीं चाहता है और कार्य में उसकी सहायता से वंचित नहीं होना चाहता।

शिक्षा पद्धति से जुडे कारण :– ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से जुड़ी एक प्रमुख समस्या सुविधाओं की कमी होना है। बालिकाओं को शिक्षा के लिए दूर भेजना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक होता है और सामाजिक रूप से स्वीकार्य भी नहीं होता। विद्यालय पाठ्यक्रमों का निर्माण शहरी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये पाठ्यक्रम ग्रामीण जीवन और वहां के वातावरण से तनिक भी जुड़े हुए नहीं होते हैं इसके अतिरिक्त, शिक्षण पद्धति उबाउ होने तथा घर पर शैक्षिक सहायता न मिलने के कारण भी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती।

शिक्षा में महिलाओं के पिछड़ेपन के कारणों का संक्षिप्त ब्योरा निम्न प्रकार से दिया जा सकता है :–

– माता–पिता की रूढ़ीवादीता
– सामाजिक रीति–रिवाज और प्रतिबंध
– महिला अध्यापिकाओं की कमी
– विद्यालय भवनों तथा छात्रावासों की कमी
– ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अप्रसांगिक पाठ्यक्रम
– परिवहन सुविधा की कमी
– बालिकाओं की छोटी आयु में विवाह होना
– बालिकाओं से घर में काम–काज कराने और अपने छोटे भाई–बहनों की देख–भाल कराने के लिए उन्हे घर पर रोके रहना तथा विद्यालय न भेजना।[2]

माता–पिता की अत्यंत गरीबी और निरक्षरता जो उन्हे अपने बच्चों को बुनियादी सुविधाएं तक देने में रोकती है। इन परिस्थितियों के अधीन स्पष्ट रूप से राज्य का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है।

उपर्युक्त कारणों से शिक्षण संस्थाओं में कम नामांकन दर और उच्च ड्रापआउट दर देखने को मिलती है। 1999–2000 में कक्षा 1 से 5 तक बालिकाओं का नामांकन 85.18 प्रतिशत् रहा जो कि 6 से 8वीं कक्षा तक आते–आते 49.96 प्रतिशत तक गिर गया।[3]

स्कूल छोड़ने वालों में बालिकाओं की संख्या अधिक है। 1999–2000 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ही लगभग 42 प्रतिशत् बालिकाएं स्कूल छोड़ देती हैं। बिहार, झारखण्ड, उत्तर

प्रदेश व राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां एक ओर लड़कियों का नामांकन दर निम्न है तथा दूसरी ओर स्कूल छोड़ने की दर भी अधिक है।[4]

प्राइमरी स्तर पर ही इतनी बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ देने का सीधा परिणाम होता है कि वह पुरूषों से मानसिक तौर पर पिछड़ी रह जाती हैं एवं उनमें रचनात्मक और कार्यात्मक क्षमता का विकास नही हो पाता है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि महिलाओं को शिक्षित किए बिना उनके सशक्तिकरण जैसे कार्य को पूर्णरूप नहीं दिया जा सकता है। सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना को पूर्णरूप नहीं दिया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण के अन्य प्रयास में महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के माध्यम से भी महिला सशक्तिकरण के प्रयास व योजनायें चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा संचालित कुछ महत्वपूर्ण योजना इस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है[5] :–

कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना (1997) – इसका प्रमुख लक्ष्य महिला साक्षरता दर में वृद्धि तथा विशेष विद्यालयों की स्थापना।

कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना (2004) – बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया गया जिसके लिए पूरे देश में 750 आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने का प्रावधान है।

समाज में महिलाओं की स्थिति एवं उनका सशक्तिकरण

स्त्रियों की सामाजिक स्थिति एवं भूमिका बहुत कुछ समाज के स्वरूप और विशेषताओं पर निर्भर करता है। समाज की परंपराएं कैसी हैं, वह समाज आधुनिक है अथवा परंपरागत यह सब सामाजिक परिस्थितियों के रूप को प्रभावित करती हैं साथ ही साथ समाज का आकार और संरचना भी स्त्रियों के सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है। समाज में होने वाले विकास जैसे – नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण, उच्च शिक्षा स्तर, इत्यादि भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

स्त्रियों का पुत्रियों के रूप में धीरे–धीरे महत्व बढ़ रहा है। उनको सामाजिक सम्मान पुरूषों की भांति मिल रहा है। परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी राय प्रभावशाली है। एक गृहणी के रूप में पत्नियां अपने परिवारों में कुटुम्ब संबंधी निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शिक्षित माताएं अपने बच्चों के पालन–पोषण में आधुनिक तरीके अपनाती हैं। वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए अधिक सक्रिय हैं। समाज में महिलाएं आज डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर एवं शिक्षिका के रूप में सम्मान पा रही हैं।[6]

परंतु समाज में महिलाओं की स्थिति का यह एक पहलू है। आज भी महिलाओं को घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण, दहेज प्रथा एवं परिवार द्वारा पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु प्रताड़ित होना पड़ रहा है। अक्सर समाचार पत्र–पत्रिकाओं में इस तरह की घटनाएं प्रकाशित होती रहती है। दिल्ली स्थित एक सामाजिक अनुसंधान केन्द्र द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में करीब 5 करोड़ महिलाओं को अपने घरों में हिंसा का शिकार होना पड़ता है और उनमें से मात्र 0.1 प्रतिशत् ही, अत्याचार के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए आगे आती हैं।[7]

ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सामाजिक दृष्टिकोण से काफी निम्नतर है। इनको शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है। घरेलू कार्यो के अलावा इन्हें खेती–बाड़ी एवं पशुपालन जैसे कार्यों में भी हाथ बटाना पड़ता है। अधिकांश ग्रामीण स्त्रियाँ अशिक्षित होती हैं जिनके कारण पारिवारिक एवं सामाजिक निर्णय में इनकी भागीदारी नहीं के बराबर होती है। गांवों में उन्हीं महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी मानी जाती है जो शिक्षित व कार्यरत हैं। बाल विवाह एवं कुल की मर्यादा या वंश चलाने हेतु पुत्र धन के प्राप्ति हेतु उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अशिक्षित होने के कारण ग्रामीण अचंलों में स्त्रियों में बनी सामाजिक स्थिति के प्रति कानूनी ज्ञान का अभाव है।

वह बहुत कम जानती है कि उनकी सामाजिक स्थिति एवं व्यक्तिगत हित के लिए कौन–कौन से कानून सरकार ने बनाये है।

अब नारी यह बात समझने लगी है कि समाज में उनकी दुर्गति के लिए अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता परंपरागत मान्यता तथा समाज का पुरूष प्रधान होना है तो दूसरी ओर उनका अपना वर्ग ही है जो अपनी बेटी से यह कहता है कि ज्यादा पढ़–लिख कर क्या करोगी, शादी के बाद तो गृहस्थी ही जो चलानी है। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि समाज का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति कुछ बदला तो जरूर है पर अभी उतना नही जितना कि बदलना चाहिए था। लेकिन आज नारी में अपने पैरों पर खड़ा होने की सिर्फ क्षमता ही नही, प्रबल इच्छा है।[8]

दो–तीन दशक पहले महिलाएं अपने राजनैतिक अधिकारों के प्रति उदासीन थी। शिक्षा का निम्नतर होने के कारण विधायिका द्वारा प्रदत्त अधिकारों का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण ये राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग नहीं ले पाती थीं। बहुत कम ही महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयाग करती थी, उनका सारा जीवन घर के चाहरदिवारी के भीतर ही सीमित था।

पर जैसे–जैसे महिलाओं के बीच शिक्षा का प्रसार होता गया उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ है। आज महिलाएं कानून से संबंधित जानकारियॉ रखने लगी है साथ ही राजनीतिक क्रियाकलाप में उनकी भागीदारी बढ़ी है। सरकार के निर्वाचन से लेकर उसके विस्थापन तक की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा रही है पर अगर हम ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो ये आज भी पिछड़ी हुई है। ग्रामीण महिलाओं में राजनैतिक अधिकारों के प्रति जो अज्ञानता पायी जाती है इसका कारण सामाजिक संरचना और सामाजिक आदर्श है जो आज भी बाधा डालने का कार्य करते हैं।

पुस्तक, शोध लेख, समाचार पत्र–पत्रिकाएं आदि विभिन्न सर्वेक्षणों और अनुसंधानों से पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने वैद्यानिक अधिकारों की जानकारी मुख्य रूप से अनौपचारिक साधनों, जैसे – पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और पड़ोसिनों से प्राप्त होती है।[9]

सरकार द्वारा महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से सशक्त बनाने हेतु प्रयास किये जाते रहे है। इसके संदर्भ में संविधान का 73वां और 74वां संशोधन काफी महत्वपूर्ण है जिनके द्वारा महिलाओं को पंचायत और शहरी निकायों में प्रतिनिधित्व में एक तिहाई स्थान आरक्षित किया गया है।[10] यही नहीं इन संस्थाओं में प्रधान और अध्यक्ष के एक तिहाई पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये ताकि उन्हें केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं, नेतृत्व करने का अवसर मिले।

राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं ने समय–समय पर अपनी नेतृत्वात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया है। देश कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्रयासों से राष्ट्र को अखण्ड बनाये रखा, उन्होंने कठोर सैनिक कार्यवाही द्वारा बांग्लादेश का निर्माण करके पूर्व की ओर से पाकिस्तानी आक्रमण सम्भावना को सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना को भेजकर आंतकवादी कार्यवाहियों पर विराम लगाया था। इन्होंने देश की राजनीति में कभी न भूला पाने वाली अपनी छाप छोड़ रखी है।[11]

वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, अंबिका सोनी, वसुंधरा राजे, रेणुका चौधरी जैसी कई महिलाएं देश की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका अदा कर रही है। परंतु ये कुछ महिलाएं हैं जिनके नाम हम उंगलियों पर गिन सकते है।

महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास व शिक्षा

शिक्षा एक संस्था के रूप में महिलाओं की प्रत्येक विपरीत परिस्थितियों में सहायता के लिए बनाये व लागू किये जाते हैं। जिससे उनकी सुरक्षा व सहायता सुनिश्चित की जा सके।

शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

i. महिलाओं में अपनी क्षमता को बढ़ावा देना ताकि वे अपने अधिकारों की अधिकतम जरूरत अपने स्तर पर पूरी कर सकें।

ii. महिलाओं में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वयं पर आत्मनिर्भर हो सकने के लिए सहायता प्रदान करना।

iii. महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना एवं उन्हें आत्म–निर्भर बनाना।

iv. शक्तिशाली बनाते हुए उनके संरक्षण के प्रयास करना।

शिक्षा महिलाओं के सभी अधिकारों की उसी प्रकार से रक्षा करने का प्रयास करता है जिस तरह से कोई माता अपने शिशु की रक्षा करती है।

कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना[12]

इस योजना की शुरूआत 1997 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य :–

i. महिलाओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए साक्षरता दर में वृद्धि करना

ii. साक्षरता में वृद्धि के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना करना।

स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना

स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना की शुरूआत सन् 2000 में की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य हैः–

i. महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्षरत महिलाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर प्रोत्साहित करना।

महिला स्वधारा योजना

सन् 2001 में इस योजना को शुरू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य हैः–

i. महिलाओं के लिए कानूनों का निर्माण करना एवं

ii. इन कानूनों के माध्यमों से महिलाओं के आर्थिक, समाजिक तथा उनके सशक्तिकरण के पक्ष को सशक्त करना।

यह स्पष्ट करता है कि महिला सशक्तिकरण में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिससे आज महिलायें समाज के सभी क्षेत्रों में आगे आ रही हैं।

निष्कर्षः

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा से महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। इससे पहले महिलाएँ असंगठित थी और वे अपने तक ही सीमित थी। उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। बचत के प्रति वे सजग नहीं थी या फिर जो कुछ घर में अनियमित रूप से बचत करती भी थी तो वह मौके बेमौके खर्च हो जाता था। ऋण लेने में उन्हें कठिनाई होती थी। ऋण के लिए महाजनों या परिवार वालों के आसरे रहना पड़ता था जो जरूरत पड़ने पर आसानी से नहीं मिल पाता था। उनकी स्थिति परिवार में संतोषजनक नहीं थी। महिलाओं को संगठित करने में सरकार के जागरूकता कार्यक्रमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महिलाएं जो शिक्षित हैं वे समूह की अनपढ़ महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाती है जिससे कुछ अनपढ़ महिलाएं अपना नाम लिखना सिख गई है। उन महिलाओं की सोच सकारात्मक हुई है जो कानून की जानकारी प्राप्त कर पाई हैं। वे अब विविध सामाजिक समस्या को समस्या के रूप में न देखकर उसका समाधान भी करती है। सामाजिक मुद्दों को लेकर समूह में चर्चा भी करती है। महिलाएं बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी जागरूक हुई है, जो महिलाएं अपने बच्चों पर अपनी मर्जी थोपती थीं वे अब उनकी बाल सुलभ प्रवृति को समझती हैं तथा उन्हें उनके ही ढंग से शिक्षा प्रदान की कोशिष करती हैं। महिलाओं के आर्थिक समस्या का समाधान बहुत हद तक हुआ है। वे अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए ऋण लेती है जो उनके लिए काफी सुविधाजनक और लाभप्रद है। और उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है।

महिलाएँ बचत के प्रति बहुत सजग हुई है। वे अपने तथा अपने बच्चों की छोटी–मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हुई है और भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सकारात्मक सोच रखती है। महिलाएं शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह जान रही हैं। वे समाज में अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करने पर ध्यान दे रही है और अन्य महिलाओं को प्रेरित भी कर रही है। महिलाएं जो अपने कामों से मतलब रखती थी और किसी काम से बाहर आने–जाने में हिचकिचाती थी, कानून की जानकारी के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव हुआ है वे अब बाहर बेहिचक आती जाती हैं।

वे बैठकों में भी भाग लेती है तथा अपना विचार देती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आवश्यक मानती हैं तथा खुद तो सबल बना रही हैं साथ ही साथ जो महिलाएँ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग नहीं करती उनको प्रेरित भी करती हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के प्रसार से महिलाओं के मानसिकता में बदलाव हुआ है उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है तथा वे अपनी सामाजिक, आर्थिक, तथा राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुई है।

अतः हम कह सकते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने में 'शिक्षा की भूमिका' अहम् है। महिलाओं को सशक्त करने में जिस प्रकार से शिक्षा ने योगदान दिया है वे निसंदेह काफी परिस्थितियों को स्पष्ट करता है।

संदर्भ :

1. डॉ0 राधाकृष्णन्, (2012) : भारतीय संस्कृति कुछ विचार, इनफिबिम प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ संख्या 209
2. रेडॉन, (1985) : टू माई सेल्फ नोट्स ऑन लाइफ, आर्टस एण्ड आर्टिस्ट,, केम्बरेलन प्रकाशन, न्यूयॉर्क
3. सुदर्शन हरिदास (2006) : नारी सशक्तिकरण, ग्रंथ विकास प्रकाशन जयपुर, पृ संख्या 29
4. महात्मा गाँधी (1970) : द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरियेंस विथ ट्रुथ, कमल प्रकाशन, मुंबई, पृ संख्या 119
5. कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स (1848) : कम्युनिष्ट मेनिफेस्टो, प्रोग्रेस प्रकाशन, न्यूयॉर्क, पृ संख्या 134
6. लेनिन (1917) : टेन डेस दैट शॉक्ड द वर्ल्ड, सेरजई आइंस्टाइन प्रकाशन, इटली, पृ संख्या 20
7. पी, आनंद कुमार (1985) : वूमेन वर्कस ऑफ सेंट्रल इंडियाः ए स्ट्डी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एण्ड वर्किंग एण्ड लिविंग कंडिसंस, द इंस्टिच्यूट प्रकाशन
   नोयडा, पेज 196
8. बागची जशोधरा (1988) : ए प्रोफाइल ऑफ वूमेन वर्कस इन कैन्नोर डिस्ट्रीक्ट ऑफ केरला, दिनेश प्रकाशन, केरला, पृ संख्या 29–32
9. बॉड, ईसा (1986) :इण्डस्ट्रीयल सबकॉन्ट्रैक्टिंग द इफेक्टस ऑफ द पुटिंग आउट सिस्टम ऑन पुअर वर्किंग वूमेंन इन इंडिया, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ संख्या 63–91
10. जरीना भटटी (1987) : इकोनोमिक कंट्रिग्ब्यूसन ऑफ वूमेन टू हाउसहोल्ड बजट, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ संख्या 35
11. शरीत भौमिक (1996) : इम्पावरिंग मार्जिनलाइजड सेल्फ इम्पलॉयड वूमेन एसोसिएशन इन खेड़ा गुजरात, विस्तार पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ संख्या 98
12. दातार छाया, (1986) : डिविजन एण्ड यूनिटी डायनामिक्स ऑफ ऑरगेनाइजिंग वीमेन वर्कस एट निपानी पेपर 5 इन थर्ड नेशनल कान्फ्रेंस ऑन वूमेन स्टडीज वूमेन्स स्ट्रगल एण्ड मूवमेंट ऑरगेनाइड बाइ इंडियन एसोसिएशन फोर वूमेन्स स्ट्डीज ऑक्टूबर 1–4, पृ संख्या 39